

कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक : 192/दो-2-1/2012-23

रतलाम, दिनांक : 05.04.2024

संशोधित कार्य विभाजन पत्रक

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का आदेश क्रमांक 313/गोपनीय/2024, 315/गोपनीय/2024, 317/गोपनीय/2024, दिनांक 22.03.2024 एवं 150/गोपनीय/2024 /दो-3-1 /2024 दिनांक 23.02.2024 के आदेशानुसार इस स्थापना पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ की स्थानांतरण एवं नवीन पदस्थापना किये जाने के फलस्वरूप मैं राकेश मोहन प्रधान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 194 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यविभाजन पत्रक आदेश क्रमांक 01/दो-2-1/2012-2023 रतलाम, दिनांक 02.01.2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ:-

- 1 कार्यविभाजन पत्रक आदेश 01/दो-2-1/2012-2023 रतलाम, दिनांक 02.01.2024 के पृष्ठ क्रमांक-13 पर स्थित क्रमांक 18 को विलोपित करते हुए 18 निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

18	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम		रिक्त न्यायालय
----	-------------------------------------------	--	----------------

- 2 कार्यविभाजन पत्रक आदेश 01/दो-2-1/2012-2023 रतलाम, दिनांक 02.01.2024 के पृष्ठ क्रमांक-14 पर स्थित क्रमांक 21 को विलोपित करते हुए 21 निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

21	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम		रिक्त न्यायालय
----	------------------------------------------	--	----------------

- 3 कार्यविभाजन पत्रक आदेश 01/दो-2-1/2012-2023 रतलाम, दिनांक 02.01.2024 के पृष्ठ क्रमांक-14 एवं 15 पर स्थित क्रमांक 21,23,24,25 एवं 26 को विलोपित करते हुए 21,23,24,25 एवं 26 निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

21	प्रथम व्य. न्या. कनिष्ठ खंड एवं न्या.मजि. प्र. श्रेणी रतलाम	तहसील रतलाम	<ol style="list-style-type: none">1. रुपये 50,001/- से 2,00,000/- (रु. पचास हजार एक से दो लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।2. रु 1/- से 50,000/- (रु एक से पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के 01 अप्रैल 2024 से 30 जून 20243. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित
----	-------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			किये जाने वाले प्रकरण जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
23	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रतलाम		<ol style="list-style-type: none"> 1. रूपये 2,00,001/- से 3,00,000/- (रु. दो लाख एक से तीन लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. रु 1/- से 50,000/- (रु एक से पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के 01 अक्टूबर 24 से 31 दिसम्बर 2024 तक 3. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
24	चतुर्थ व्य.न्या. कनिष्ठ खंड, एवं न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, रतलाम	तहसील रतलाम	<ol style="list-style-type: none"> 1. रूपये 3,00,001/- से 4,00,000/- (रु. तीन लाख एक से चार लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. बाह्य न्यायालयों से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण। 3. रु 1/- से 50,000/- (रु एक से पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के 01 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 4. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
25	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रतलाम		<ol style="list-style-type: none"> 1. रूपये 4,00,001/- से 5,00,000/- (रु. चार लाख एक से पांच लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. रु 1/- से 50,000/- (रु एक से पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के 01 जुलाई 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक 3. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण

4 कार्यविभाजन पत्रक आदेश 01/दो-2-1/2012-2023 रतलाम, दिनांक 02.01.2024 के पृष्ठ क्रमांक-7 पर स्थित क्रमांक 10,11 एवं 12 को विलोपित करते हुए 10,11 एवं 12 निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

10	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा		प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका।
			1 जावरा तहसील के रूपये 1,00,00,000/- (रु. एक करोड़) से अधिक के सांप्रतिक वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक

			<p>कार्यवाही।(दिनांक 01.04.2024 से 31.07.2024)</p> <p>2. मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत तहसील बडावदा एवं रिंगनोद पुलिस थाना की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण एवं जो तहसील जावरा के निवासी होकर जिनके साथ अन्य जिलों में घटित दुर्घटना से उत्पन्न समस्त प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया।</p> <p>जावरा में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड, द्वारा पारित निर्णय डिक्री एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपीलें तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया।(दिनांक 01.07.2024 से 31.10.2024)</p> <p>जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, साम्प्रतिक अपील एवं अन्य समस्त प्रकरण।</p>
11	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) एवं विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा जिला रतलाम	<p>सत्र खण्ड रतलाम तहसील जावरा</p> <p>तहसील जावरा</p> <p>तहसील जावरा</p> <p>तहसील जावरा</p>	<p>1. जावरा तहसील क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले विविध आपराधिक प्रकरण।</p> <p>2. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 एवं 439 के अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र, बडावदा, कालुखेडा एवं पिपलौदा, के प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र, विशेष अधिनियम को छोड़कर।</p> <p>3. पुलिस थाना शहर जावरा का स्थानीय क्षेत्र, आरक्षी केन्द्र शहर जावरा, औद्योगिक क्षेत्र, जावरा, कालुखेडा, रिंगनोद, बडावदा तथा पिपलौदा एवं पुलिस थाना ताल से उद्भूत एन. डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।</p> <p>4. विद्युत अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।</p> <p>5. द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा एवं चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जावरा के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की जाने वाली आपराधिक अपीले एवं रिवीजन</p> <p>6. घृणित एवं सनसनीखेज सत्र प्रकरण(लैगिंग शोषण से बालकों का संरक्षण अधिनियम को छोड़कर) एवं इससे संबंधित अनुसांगिक कार्यवाहियां</p> <p>7. मध्य प्रदेश निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण</p> <p>8. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका।</p>

	<p>तहसील जावरा</p> <p>जावरा (तहसील रतलाम, सैलाना आलोट को छोडकर)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 जावरा तहसील के रूपये 1,00,00,000/- (रु. एक करोड़) से अधिक के सांपत्तिक वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।(दिनांक 01.09.2024 से 31.12.2024) 2. मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत तहसील जावरा के आरक्षी केंद्र पिपलौदा एवं कालूखेडा पुलिस थाना की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण एवं जो तहसील जावरा के निवासी होकर जिनके साथ अन्य जिलों में घटित दुर्घटना से उत्पन्न समस्त प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 3. हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विवाह संबंधी विवादों के प्रकरण तथा भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4. हिन्दु एडाप्शन एवं मेन्टेनेन्स एक्ट 1986 के प्रकरण एवं गार्जीयन एवं वार्डस एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग-7 एवं भाग-9 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 6. भारतीय सक्सेशन एक्ट के भाग-10 के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 तक के लंबित आवेदन पत्र में दिये गये आदेश के विरुद्ध अपीलें। 7 स्थानीय एवं विशेष विधि के अंतर्गत प्रस्तुत दिवानी एवं विविध अपीलें एवं अन्य प्रकरण। 8. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के अंतर्गत चुनाव याचिकाएँ या रिवीजन। 9 इनसाल्वेंसी एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। 10 अनुविभागीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय से उत्पन्न समस्त पुनरीक्षण एवं आपराधिक अपीलें एवं सिविल न्यायालय को वेष्टित कार्यवाहियों। 11. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक मूल्य के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाहियों को छोडकर मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 से संबंधित समस्त निष्पादन प्रकरण रूपये 3 लाख तक। (वाणिज्यिक विवाद अधिनियम 2018 के संशोधन के पश्चात तीन लाख रूपये से अधिक मूल्य के वाणिज्यिक विवाद की अधिकारिता वाणिज्यिक न्यायालय को प्रदान की गई है।)
--	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>12. जावरा में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड, द्वारा पारित निर्णय डिक्री एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपीलें तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया।(दिनांक 01.01.2024 से 30.04.2024)</p> <p>13.जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, साम्प्रतिक अपील एवं अन्य समस्त प्रकरण।</p>
12	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश जावरा	सत्र खण्ड रतलाम तहसील जावरा	<p>1 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका।</p> <p>2 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 एवं 439 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र जावरा, रिंगनोद एवं जावरा शहर(सिटी), आबकारी वृत्त तहसील जावरा के प्रस्तुत होने वाले समस्त (सभी प्रकार के) आवेदन पत्र, विशेष अधिनियम को छोड़कर।</p> <p>3. पास्को(POCSO) एक्ट 2012 से संबंधित प्रकरण एवं इस एक्ट से संबंधित अनुसांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>4. पास्को(POCSO) एक्ट 2012 से संबंधित घुणित एवं सनसनीखेज सत्र प्रकरण व अंतरित जमानत आवेदन पत्र सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>5 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जावरा, द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जावरा के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की जाने वाली आपराधिक अपीले एवं रिवीजन।</p>
		तहसील जावरा	<p>1 जावरा तहसील के रूपये 1,00,00,000/- (रु. एक करोड़) से अधिक के सांप्रतिक वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।(दिनांक 01.01.2024 से 31.03.2024 एवं 01.08.2024 से 31.08.2024)</p> <p>2 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत तहसील जावरा के आरक्षी केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र जावरा, एवं जावरा शहर पुलिस थाना की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया।</p> <p>2. लघुवाद न्यायालय के अंतर्गत रूपये 500/- पांच सौ से अधिक एवं रूपये 1000/- एक हजार तक के लघुवाद प्रकरण जिनकी सुनवाई धारा 9 सिविल कोर्ट के अंतर्गत अधिकृत तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया।</p> <p>3 रूपये 20,000/- बीस हजार तक के दिवालीये प्रकरण जो दिनांक 31.12.1987 तक व्यवहार</p>

			<p>न्यायाधीश वर्ग-1 जावरा के न्यायालय में विचाराधीन हो उनमें दिये गये आदेश के विरुद्ध अपीलें तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया।</p> <p>4. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया।</p> <p>5. जावरा में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड, द्वारा पारित निर्णय डिक्री एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध अपीलें तथा उनसे उत्पन्न अनुसांगिक कार्यवाहिया। (दिनांक 01.05.2024 से 30.06.2024 एवं 01.11.2024 से 31.12.2024)</p> <p>6. बाह्य न्यायालयों से अंतरित होकर प्राप्त होने वाले अपर जिला न्यायाधीश जावरा के क्षेत्राधिकार से सम्बंधित प्रवर्तन प्रकरण।</p> <p>7. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण विधान के अंतर्गत उत्पन्न अपीले एवं अन्य कार्यवाहिया।</p> <p>8. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सापत्तिक अपील एवं अन्य प्रकरण।</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 कार्यविभाजन पत्रक आदेश 01/दो-2-1/2012-2023 रतलाम, दिनांक 02.01.2024 के पृष्ठ क्रमांक-17 पर स्थित क्रमांक 36 एवं 37 को विलोपित करते हुए 36 एवं 37 निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

36	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी आलोट	तहसील आलोट	<p>1. रूपये 5,00,001/- से रूपये 1,00,00,000/- (रु पांच लाख एक से एक करोड रु.) तक के साम्पत्तिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।</p> <p>2. 500/- (पाँच सौ) तक के लघुवाद जिनकी सुनवाई हेतु सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अन्तर्गत अधिकृत।</p> <p>3. बाह्य न्यायालयों से प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आलोट के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण</p> <p>4. भारतीय सक्सेशन एक्ट के भाग 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र</p> <p>5. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
37	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड आलोट के अति न्यायाधीश आलोट एवं न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी आलोट		रिक्त न्यायालय

6 कार्यविभाजन पत्रक आदेश 01/दो-2-1/2012-2023 रतलाम, दिनांक 02.01.2024 के पृष्ठ क्रमांक-17 एवं 18 पर स्थित क्रमांक 38 एवं 40 को विलोपित करते हुए 38 एवं 40 निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

38	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड आलोट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	तहसील आलोट	<ol style="list-style-type: none"> 1. रुपये 50,001/-से 2,00,000/- (रु पचास हजार एक से दो लाख हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. रु 1/- से 50,000/- (रु एक से पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद (01 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024, एवं अक्टूबर 2024) 3. बाह्य न्यायालयों से प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड आलोट के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण 4. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
39	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आलोट	तहसील आलोट	<ol style="list-style-type: none"> 1. रुपये 2,00,001/-से 4,00,000/- (रु दो लाख एक रुपये से चार लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. रु 1/- से 50,000/- (रु एक से पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद (01 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 एवं नवम्बर 2024) 3. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
40	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आलोट	तहसील आलोट	<ol style="list-style-type: none"> 1. रुपये 4,00,001/-से 5,00,000/- (रु चार लाख एक रुपये से पांच लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही। 2. रु 1/- से 50,000/- (रु एक से पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद (01 जून से 31 अगस्त 2024 एवं दिसम्बर 2024) 3. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण

7 कार्यविभाजन पत्रक आदेश 01/दो-2-1/2012-2023 रतलाम, दिनांक 02.01.2024 के पृष्ठ क्रमांक-18 पर स्थित क्रमांक 41 को विलोपित करते हुए 41 निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

41	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सैलाना	तहसील सैलाना /बाजना	1 रुपये 5,00,001/- से रुपये 1,00,00,000/- (रु पाँच लाख एक से एक करोड़ रु.) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा
----	--------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।</p> <p>2 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।</p> <p>3 500/- (पाँच सौ) तक के लघुवाद जिनकी सुनवाई हेतु सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 9 के अन्तर्गत अधिकृत।</p> <p>4 बाह्य न्यायालयों से प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सैलाना के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण।</p> <p>5 जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
42	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना	तहसील सैलाना	<p>1. रूपये 50,001/- से 3,00,000/- (रु. पचास हजार एक से तीन लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।</p> <p>2. रु 1/- से 50,000/- (रु एक से पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के 1 जुलाई 2024 से 31 दिसम्बर 2024(06 माह)</p> <p>3. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</p>
43	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना के अति न्यायाधीश सैलाना	तहसील सैलाना/बाजना	<p>1. रूपये 3,00,001/- से 5,00,000/- (रु. तीन लाख एक से पांच लाख) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के वाद एवं इससे संबंधित समस्त अनुसांगिक कार्यवाही।</p> <p>2 1/- से 50,000/- (रु एक से पचास हजार) तक के साम्प्रतिक वाद एवं इससे संबंधित निषेधाज्ञा के 01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024</p> <p>3. बाह्य न्यायालयों से प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सैलाना के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रवर्तन प्रकरण</p> <p>4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण</p>
44	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना मजिस्ट्रेट	तहसील सैलाना, बाजना	<p>1 प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>

8 कार्यविभाजन पत्रक आदेश 01/दो-2-1/2012-2023 रतलाम, दिनांक 02.01.2024 के पृष्ठ क्रमांक-14 पर स्थित क्रमांक 20 को विलोपित करते हुए 20 निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

20	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश खंड, रतलाम वरिष्ठ	तहसील रतलाम	1 जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
----	-------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------

9 कार्यविभाजन पत्रक आदेश 01/दो-2-1/2012-2023 रतलाम, दिनांक 02.01.2024 के पृष्ठ क्रमांक-19 पर स्थित नोट क्रमांक 05 को विलोपित करते हुए नोट क्रमांक 5 को निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

A	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम	विशेष न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम(स्थापना पर वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश)/ द्वितीय/चतुर्थ/पंचम/ तृतीय/ षष्ठम/सप्तम/अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
B	विशेष न्यायाधीश रतलाम	प्रथम(स्थापना पर वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश) /तृतीय/ /चतुर्थ/पंचम/तृतीय/षष्ठम/सप्तम/अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम एवं सभी की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
C	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	द्वितीय/चतुर्थ/पंचम/तृतीय/षष्ठम/सप्तम/अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम एवं सभी की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
D	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	प्रथम/तृतीय/षष्ठम/पंचम/चतुर्थ/ सप्तम/अष्टम विशेष न्यायाधीश एवं सभी की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
E	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	पंचम/षष्ठम/द्वितीय/प्रथम/चतुर्थ/ सप्तम/अष्टम विशेष न्यायाधीश एवं सभी की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
F	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	षष्ठम/तृतीय/द्वितीय/पंचम/प्रथम/ सप्तम/अष्टम विशेष न्यायाधीश एवं सभी की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
G	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	तृतीय/षष्ठम/द्वितीय/चतुर्थ/प्रथम/ सप्तम/अष्टम विशेष न्यायाधीश एवं सभी की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
H	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	चतुर्थ/सप्तम/द्वितीय/पंचम/प्रथम/ तृतीय/अष्टम/ विशेष न्यायाधीश एवं सभी की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
I	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	अष्टम/पंचम/तृतीय/द्वितीय/प्रथम/चतुर्थ/षष्ठम/ विशेष न्यायाधीश एवं सभी की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
J	अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	सप्तम/ तृतीय/द्वितीय/प्रथम/चतुर्थ/षष्ठम/ पंचम/ विशेष न्यायाधीश एवं सभी की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
K	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश जावरा	प्रथम अति./द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश जावरा एवं उनकी अनुपस्थिति में तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/ प्रथम/द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम/ विशेष न्यायाधीश रतलाम एवं सभी की अनुपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
l	द्वितीय अपर जिला एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत	प्रथम अति./द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश जावरा एवं उनकी अनुपस्थिति में तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/ प्रथम/द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम/ विशेष न्यायाधीश रतलाम एवं सभी की

	अधि. जावरा	अनुपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
J	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश जावरा	प्रथम/द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश जावरा एवं उनकी अनुपस्थिति में चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/प्रथम/द्वितीय/तृतीय/सप्तम/अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम/ विशेष न्यायाधीश रतलाम एवं सभी की अनुपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।
K	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोट के अति. न्यायाधीश	प्रथम अति/ द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा एवं उनकी अनुपस्थिति में षष्ठम/ प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/सप्तम/अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम, तथा उनकी अनुपस्थिति में प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ/तृतीय/पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम, तथा उनकी अनुपस्थिति में विशेष न्यायाधीश तथा सभी की अनुपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।

10 कार्यविभाजन पत्रक आदेश 01/दो-2-1/2012-2023 रतलाम, दिनांक 02.01.2024 के पृष्ठ क्रमांक-21 पर स्थित नोट क्रमांक 14 को विलोपित करते हुए नोट क्रमांक 14 निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

1.

A	प्रथम व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम	द्वितीय/ पंचम/षष्ठम/अति./ तृतीय/ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में व्यवहार न्याय. वरिष्ठ खंड, जावरा/ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा
B	द्वितीय व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम	पंचम/षष्ठम/अति./प्रथम/ तृतीय/ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में व्यवहार न्याय. वरिष्ठ खंड, जावरा/ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा
C	तृतीय व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम	पंचम/षष्ठम/अति./प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में व्यवहार न्याय. वरिष्ठ खंड, जावरा/ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा
D	चतुर्थ व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम एवं प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किषोर न्याय बोर्ड, रतलाम	नोट क्रमांक 16 अनुसार
E	पंचम व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम	षष्ठम/अति./प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में व्यवहार न्याय. वरिष्ठ खंड, जावरा/ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा
F	षष्ठम व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड, रतलाम	अति./प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में व्यवहार न्याय. वरिष्ठ खंड, जावरा/ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा
G	सप्तम व्यवहार न्या. वरिष्ठ खंड रतलाम एवं रेल्वे मजिस्ट्रेट किषोर न्याय बोर्ड, रतलाम	नोट क्रमांक 14 अनुसार
H	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम के अतिरिक्त न्यायाधीश रतलाम	तृतीय/षष्ठम/पंचम/प्रथम/ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में व्यवहार न्याय. वरिष्ठ खंड, जावरा/ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा

		जावरा एवं सभी की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम
U	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, आलोट	प्रथम/तृतीय न्यायाधीश कनिष्ठ खंड आलोट तथा उनकी अनुपस्थिति में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आलोट तथा उनकी अनुपस्थिति में प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, जावरा तथा उनकी अनुपस्थिति में व्यव./द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा एवं सभी की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम
V	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, आलोट	द्वितीय/प्रथम न्यायाधीश कनिष्ठ खंड आलोट तथा उनकी अनुपस्थिति में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आलोट तथा उनकी अनुपस्थिति में प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, जावरा तथा उनकी अनुपस्थिति में व्यव./द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा एवं सभी की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम
W	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सैलाना	षष्ठम/पंचम/तृतीय/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम एवं द्वितीय/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, जावरा सभी की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम
X	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना	अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सैलाना तथा उनकी अनुपस्थिति में षष्ठम/पंचम/तृतीय/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा सभी की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम
Z	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, सैलाना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सैलाना तथा उनकी अनुपस्थिति में षष्ठम/पंचम/तृतीय/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा सभी की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम
A A	नोट क्र. 1	यदि किसी समय जिला मुख्यालय पर उपरोक्त तालिका अनुसार कोई भी प्रभारी अधिकारी उपस्थित न हो तो ऐसी स्थिति में उस न्यायालय के आवश्यक कार्य का प्रभार मुख्यालय पर मौजूद वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश के पास रहेगा।

11 कार्यविभाजन पत्रक आदेश 01/दो-2-1/2012-2023 रतलाम, दिनांक 02.01.2024 के पृष्ठ क्रमांक-25 पर स्थित नोट क्रमांक 21 को विलोपित किया जाता है।

12 कार्यविभाजन पत्रक आदेश 01/दो-2-1/2012-2023 रतलाम, दिनांक 02.01.2024 के पृष्ठ क्रमांक-28 पर स्थित नोट क्रमांक 32 को विलोपित किया जाता है।

13 कार्यविभाजन पत्रक आदेश 01/दो-2-1/2012-2023 रतलाम, दिनांक 02.01.2024 के पृष्ठ क्रमांक-28 पर स्थित नोट क्रमांक 36 को विलोपित करते हुए नोट क्रमांक 36 निम्नानुसार स्थापित किया जाता है।

36 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश आलोट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश आलोट का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आलोट तथा उनकी

अनुपस्थिति में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आलोट को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आलोट के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आलोट के द्वारा की जावेगी।

14 कार्यविभाजन पत्रक आदेश 01/दो-2-1/2012-2023 रतलाम, दिनांक 02.01.2024 के पृष्ठ क्रमांक-29 एवं 30 पर स्थित नोट क्रमांक 41,42,43,44, एवं 45 को विलोपित करते हुए नोट क्रमांक 41,42,43,44, एवं 45,45ए,45बी, 45सी निम्नानुसार स्थापित किये जाते हैं

41 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम (प्रशिक्षु श्री राकेश भिडे, सुश्री चेतना दशोरा, सुश्री आकांशा गुप्ता) तथा अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के रिक्त न्यायालय का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के द्वारा की जावेगी।

42 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के द्वितीय अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड (प्रशिक्षु श्री सक्सेना, श्री धुन्ना, सुश्री हर्षिता सिंगार एवं सुश्री मिताली पाठक, श्री उत्कर्ष जैन) रतलाम के रिक्त न्यायालय का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के द्वारा की जावेगी।

43 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के तृतीय अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड (प्रशिक्षु श्री बुद्धेसिंह सोलंकी, श्री राहुल सोलंकी, सुश्री रुचिता गुर्जर सुश्री सुमित्रा ताहेड एवं सुश्री नेहा उपाध्याय, श्री अम्बर श्रीवास्तव) रतलाम के रिक्त न्यायालय का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के द्वारा की जावेगी।

44 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के चतुर्थ अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड (प्रशिक्षु श्री नितीन सोनी श्री भूपेन्द्र कुशवाह) रतलाम के रिक्त न्यायालय का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही

पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के द्वारा की जावेगी।

45 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के पंचम अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड(प्रशिक्षु सुश्री अनुराधा गौतम श्री भूपेन्द्र कुशवाह) रतलाम के रिक्त न्यायालय का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के द्वारा की जावेगी

46 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के षष्ठम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड (प्रशिक्षु सुश्री आकांशा श्रीवास्तव) रतलाम के रिक्त न्यायालय का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के द्वारा की जावेगी


47 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के सप्तम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड (प्रशिक्षु श्री अतुल श्रीवास्तव) रतलाम के रिक्त न्यायालय का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम के द्वारा की जावेगी

15 कार्यविभाजन पत्रक आदेश 01/दो-2-1/2012-2023 रतलाम, दिनांक 02.01.2024 के पृष्ठ क्रमांक-27 पर स्थित नोट क्रमांक 29 एवं 30 को विलोपित करते हुए नोट क्रमांक 29 निम्नानुसार स्थापित किये जाते हैं

29 षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के रिक्त न्यायालय का आवश्यक कार्य उच्च न्यायालय अथवा अन्य अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही हेतु पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम तथा उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम को उक्त कार्य की व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाता है साथ ही यदि किसी प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर उसमें सुनवाई की जाना है तो ऐसे प्रकरण स्वमेव ही पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम के न्यायालय में अंतरित हुए माने जावेंगे तथा उनका विधिवत निराकरण एवं कार्यवाही पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम के द्वारा की जावेगी।

शेष कार्यविभाजन पत्रक यथावत रहेगा।

नोट :- उपरोक्त कार्यविभाजन पत्रक संबंधित न्यायिक अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावशील होगा।



(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक : 948 / दो-2-1 / 2012-24

रतलाम, दिनांक : 05.04.2024

प्रतिलिपि :-

1. समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम/जावरा/आलोट
2. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना
3. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना
4. प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायालय रतलाम।
5. तलबाना अनुभाग, रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रतलाम (म.प्र.)